न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी सीकर

अपील संख्या 81/2017

पीठासीन अधिकारी — करतार सिंह पूनियाँ RAS

1 श्योपालसिंह पुत्र महादेव सिंह।
2 सवाई सिंह पुत्र सुरजा समस्त जाति दरोगा राजपुत निवासी महादेव सिंह की ढ़ाणी तन पुरोहितों की ढ़ाणी तहसील व जिला झुंझुनू।

अपीलांट

बनाम

सत्यमेव जयते

Web Copy - Not Official

1 प्रधानसिंह पुत्र जयराम।
2 महीपाल सिंह पुत्र जयराम।
3 मनोज कुमार पुत्र जयराम।
4 सत्यवीर पुत्र जयराम।
5 दिनेश कुमार पुत्र रामनिवास।
6 मन्जु पुत्री रामनिवास।
7 राजकुमार पुत्र हुक्माराम।
8 सुरेश पुत्र हुक्माराम।
9 राजकुमार पुत्र हुक्माराम।
10 नरेन्द्र पुत्र विद्याधर।
11 दलीप पुत्र विद्याधर।
12 महावीर पुत्र लच्छुराम।
13 सहीराम पुत्र विद्याधर।

14 सुमित्रा स्त्री विद्याधर।

15 महेश पुत्र लच्छाराम।

16 मु. झिमकोरी बेवा बीरबल।

17 नाहरसिंह पुत्र बीरबल।

18 रमेश पुत्र बीरबल।

19 फुली बेवा श्रीफुला जाति समस्त जाट निवासीगण ढ़ाणी पुरोहिता की तहसील व जिला झुंझुनू।

20 स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एण्ड जयपुर शाखा कार्यालय झुंझुनू जरिये शाखा प्रबन्धक।

21 स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया शाखा कार्यालय झुंझुनू जरिये शाखा प्रबन्धक।

22 राजस्थान सरकार जरिये लेण्ड होल्डर तहसीलदार झुंझुनू।

23 छगन पुत्र रामकरण सिंह।

24 बहादुर पुत्र रामकरण सिंह।

25 भागोती स्त्री रामकरण सिंह।

26 मदनसिंह पुत्र सुरजा।

27 महेन्द्र सिंह पुत्र रामकरण सिंह।

28 रामसिंह पुत्र महादेव जाति समस्त दरोगा राजपुत निवासी महादेवसिंह की ढ़ाणी तन ढ़ाणी पुरोहितान की तहत तहसील व जिला झुंझुनू।

रेस्पोंडेन्ट

Lano

मु. प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन सहायक ... अधिकारी सीकर (कैम्प झुंझुनूं)

अपील अ0 धारा 225 राज0 काश्तकारी अधिनियम
1955 अपील खिलाफ निर्णय दिनांक 06.11.2017
ब्अदालत उपखण्ड अधिकारी झुंझुनू मुकदमा उनवानी
प्रधानसिंह वगैरह बनाम मनोज कुमार वगैरह मु.नं.
44/2015 आवेदन पत्र अन्तर्गत धारा 251ए
राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

अपील संख्या 82/2017

1 मनोज कुमार पुत्र रामनिवास।
2 सुरेश पुत्र हुक्माराम।
3 नरेन्द्र पुत्र विधाधर सिंह।
4 महावीर पुत्र लच्छुराम जाति समस्त जाट निवासीगण ढ़ाणी पुरोहिता की पटवार हल्का खाजपुर नया तहसील व जिला झुंझुनू।

अपीलांट

बनाम

1 प्रधानसिंह पुत्र जयराम।
2 महीपाल सिंह पुत्र जयराम।
3 सत्यवीर पुत्र जयराम।
4 दिनेश कुमार पुत्र रामनिवास।
5 मन्जु पुत्री रामनिवास।

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी.

6 मु. शान्ति देवी स्त्री रामनिवास
7 राजकुमार पुत्र हुक्माराम।
8 दलीप पुत्र विद्याधर।
9 सहीराम पुत्र विद्याधर।
10 सुमित्रा स्त्री विद्याधर जाति समस्त जाट निवासीगण ढ़ाणी पुरोहिता की पटवार हल्का खाजपुर नया तहसील व जिला झुंझुनू।
11 महेश पुत्र लच्छाराम।
12 मु. झिमकोरी बेवा बीरबल।
13 नाहरसिंह पुत्र बीरबल।
14 रमेश पुत्र बीरबल।
15 फुली बेवा श्रीफुला जाति समस्त जाट निवासीगण ढ़ाणी पुरोहिता की तहसील व जिला झुंझुनू।
16 स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एण्ड जयपुर शाखा कार्यालय झुंझुनू जरिये शाखा प्रबन्धक।
17 स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया शाखा कार्यालय झुंझुनू जरिये शाखा प्रबन्धक।
18 राजस्थान सरकार जरिये लेण्ड होल्डर तहसीलदार झुंझुनू।

रेस्पोंडेन्ट

अपील अ0 धारा 225 राज0 काश्तकारी अधिनियम
1955 अपील खिलाफ निर्णय दिनांक 06.11.2017
ब्अदालत उपखण्ड अधिकारी झुंझुनू मुकदमा उनवानी
प्रधानसिंह वगैरह बनाम मनोज कुमार वगैरह मु.नं.
44/2015 आवेदन पत्र अन्तर्गत धारा 251ए
राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

भू प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी

उपस्थित

1. श्री विजयसिंह चौधरी अधिवक्ता अपीलांट
2. श्री राजेश पूनियां अधिवक्ता अपीलांट
3. श्री प्रमोद पूनियां अधिवक्ता रेस्पोडेंट

—निर्णय—

दिनांकः—11.10.2018

यह दोनों अपीले विचारण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी झुंझुनू द्वारा प्रार्थना पत्र संख्या 44/2015 में पारित निर्णय दिनांक 06.11.2017 के विरूद्व पृथक—पृथक प्रस्तुत की गई है। दोनों अपीले एक ही आदेश के विरूद्व होने से दोनो अपीलों का निस्तारण एक ही आदेश से किया जा रहा है। निर्णय की प्रति दोनों पत्रावलीयों में अलग अलग रखी जायेगी।

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि विचारण न्यायालय में प्रार्थी रेस्पोडेंट प्रधान सिंह व महीपाल सिंह ने आवेदन अन्तर्गत धारा 251ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम प्रस्तुत कर अनावेदकगण की भूमि खसरा नम्बर 254,247,246,245 में से 12 फिट रास्ते की मांग की। विचारण न्यायालय ने अनावेदकगण का जवाब प्राप्त किया तहसीलदार झुंझुनू से मौका रिपोर्ट प्राप्त की बाद सुनवाई विचाराधीन निर्णय से प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया है जिससे व्यथित होकर अनावेदकगण

भू प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी

मनोज, सुरेश, नरेन्द्र व महावीर की और से अपील संख्या 82/2017 एवं श्योपाल सिंह, सवाईसिंह की और से धारा 96 के आवेदन के साथ अपील संख्या 81/2017 प्रस्तुत की गई है।

बहस उभयपक्ष सुनी गई। विद्वान अधिवक्ता अपीलांट ने अपील मेमों के कथनो को दोहराते हुये तर्क दिया कि रेस्पोडेंट संख्या 1 व 2 द्वारा चाहे गये रास्ते की जगह कभी रास्ता नही रहा है विचारण न्यायालय ने अपीलांट को सुने बिना विचाराधीन निर्णय पारित किया है जो विधि विरूद्व है। प्रार्थीगण के खेत खसरा नम्बर 243 में आने जाने के लिए चाहे गये रास्ते के अलावा एक चालू वैकिल्पक रास्ता मौजुद है। राजस्व ग्राम ढ़ाणी पुरोहितान में स्थित खसरा नम्बर 238 की खातेदारी रेस्पोडेंट 1 व 2 व अन्य के नाम दर्ज है इसके उत्तर दिशा में सटकर राजस्व ग्राम भूरीवास की सरहद स्थित है ग्राम भूरीवास के हाल खसरा नम्बर 88–89, 86–87 में से एक पुख्ता रास्ता ग्राम पुरोहितान की ढ़ाणी से भूरीवास होते हुये उदावास जाता है जो राजस्व रिकार्ड में कटान शुद्वा है जो मौके पर खसरा नम्बर 88,86 से 89 के खातेदारों ने खसरा नम्बर 238 से सटकर डाल रखा है खसरा नम्बर 238 से 243 की दूरी मांगे गये रास्ते बजाय कम है विचारण न्यायालय ने वैकल्पिक रास्ते की रिपोर्ट नही मगवाकर विधिक त्रुटि की है। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 251ए के प्रावधानों के अनुसार मौके कि रिपोर्ट गिरदावर हल्का से नीचे का अधिकारी नही ला सकता है। इस प्रकरण में तहसीलदार एवं गिरदावर मौके पर नही गये प्रकरण में अपीलांट श्योपाल सिंह व सवाईसिंह को पक्षकार बनाये बिना ही उनके विरूद्व निर्णय पारित किया गया है। विचारण न्यायालय में प्रार्थीगण ने खसरा नम्बर 258,257 में से रास्ते मांग नही की है बिना मांगे अनुतोष दिया गया है जो विधि विरूद्व है अपीलांट का आवेदन धारा 96 सी.पी.सी. स्वीकार कर दोनों अपीले

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी

स्वीकार करने एवं विचारण न्यायालय द्वारा पारित विचाराधीन निर्णय अपास्त करने का निवेदन किया है।

विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेंट ने तर्क दिया कि वैकल्पिक रास्ते की रिपोर्ट इस लिये नही आई है क्योकि वैकल्पिक रास्ता है ही नही यदि होता तो रिपोर्ट आती एवं अप्रार्थीगण वैकल्पिक रास्ता होने की सुरत में नक्शे की सत्यापित प्रति पेश करते। प्रस्तुत प्रकरण में सक्षम अधिकारी ने मौके पर जाकर रिपोर्ट तैयार कर प्रस्तुत की है। विपक्षीगण ने दौराने सुनवाई मौके पर निर्माण कर लिया है निर्माण ताजा है पीठासीन अधिकारी ने निरीक्षण किया है विचारण न्यायालय द्वारा सम्पूर्ण तथ्यों का विवेचन कर विचाराधीन निर्णय पारित किया है जिसमें कोई विधिक त्रुटि नही है अपील अपीलांट खारिज की जायें।

रिबटल में विद्वान अधिवक्ता अपीलांट ने तर्क दिया कि खसरा नम्बर 254 में पुख्ता निर्माण है तहसीलदार की रिपोर्ट से यह तथ्य साबित है अपील स्वीकार की जायें।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं विद्वान अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर मनन किया। प्रस्तुत प्रकरण में पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि विचारण न्यायालय में मौका रिपोर्ट गिरदावर हल्का व उससे उपर के अधिकारी की नही है नायब तहसीलदार झुंझुनू को मौका रिपोर्ट के लिए कोई आदेश नही दिया गया है। विचारण न्यायालय की आदेशिका दिनांक 01.09.2017, 02.09.2017, 06.09.2017, 13.09.2017 के अवलोकन से जाहिर होता है कि इनमें अंकित तथ्य परस्पर विरोधाभासी है विचारण न्यायालय ने वैकल्पिक रास्ते के सन्दर्भ में कोई रिपोर्ट लिये बिना विरोधाभासी रिपोर्ट पत्रावली पर होते हुये मनमर्जी से विचाराधीन निर्णय पारित किया है। विचारण न्यायालय ने रिकार्डेड खातेदार को सुने बिना

भू प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी

ही विचाराधीन निर्णय पारित कर दिया है जो प्राकृतिक न्याय के सिद्वान्त के पूर्णतया विपरित है विचारण न्यायालय का निर्णय राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 251ए के प्रावधानों के सर्वथा विपरित है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर विचारण न्यायालय द्वारा पारित विचाराधीन निर्णय विधि विरूद्व पाया जाता है अपील संख्या 81/2017 के अपीलांट को पक्षकार बनाये बिना एवं सुनवाई के बिना विचाराधीन निर्णय पारित किया गया है। अत अपीलांट श्योपाल सिंह व सवाई सिंह द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र धारा 96 सी.पी.सी. स्वीकार किया जाता है एवं विचारण न्यायालय द्वारा पारित विचाराधीन निर्णय दिनांक 06.11.2017 सारहीन होने से खारिज किया जाता है। अपील अपीलांट स्वीकार की जाती है।

निर्णय आज दिनांक 11.10.2018 को सरे इजलास सुनाया गया।

11/x/18

(करतार सिंह पूनियाँ)
भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी,
सीकर